

[2023] 3 एस. सी. आर. 96

आर. के. जिवनलता देवी

बनाम

मणिपुर उच्च न्यायालय अपने महा - निबंधक और अन्य के माध्यमों से

(रिट याचिका (दीवानी) संख्या 1209/2021)

24 फरवरी, 2023

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, न्यायमूर्तिगण।]

सेवा कानून- मणिपुर उच्च न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी भर्ती और सेवा की शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील और आचरण) नियम, 2020- पदोन्नति-असंचरित प्रतिकूल एसीआर पर निर्भरता- की अस्वीकार्यता- अभिनिर्धारित: असंचरित प्रतिकूल एसीआर "अच्छी" प्रविष्टि के साथ भी हो सकते हैं, जिसे पदोन्नति के लिए योग्यता के संदर्भ में प्रतिकूल कहा जा सकता है, जिस पर पदोन्नति के विचार के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है-वर्तमान मामले में, सहायक निबंधक के पद पर 09.04.2021 को पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर नए सिरे से विचार किया जाएगा, जिसमें वर्ष 2016-17 और 2019-20 के लिए असंचरित एसीआर की अनदेखी की जाएगी और वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए एसीआर को ध्यान में रखा जाएगा, जिसके लिए याचिकाकर्ता के पास "बहुत अच्छा" ग्रेडिंग था-सहायक निबंधक के पद के लिए याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार करने वाली डीपीसी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया- भारत का संविधान-अनुच्छेद 32-गुवाहाटी उच्च न्यायालय सेवा नियमावली, 1967.

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 वर्तमान मामले में विवाद मणिपुर उच्च न्यायालय में सहायक निबंधक के पद के संबंध में है। नियम 2020 से पहले, सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नति गुवाहाटी उच्च न्यायालय सेवा नियम, 1967 द्वारा शासित थी। हालाँकि, मणिपुर उच्च न्यायालय ने नियम, 2020 नामक अपने स्वयं के नियम बनाए। डी. पी. सी. ने

09.04.2021 को सहायक निबंधक के पद को भरने के लिए बैठक की। इसलिए, डी. पी. सी. की बैठक के समय प्रचलित नियम, 2020 पर उचित रूप से विचार किया गया। यह विवाद में नहीं है और इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए डी. पी. सी. की तारीख से पिछले चार वर्षों के ए. सी. आर. को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। इसलिए, वर्तमान मामले में 2016-2017 से 2019-2020 के बीच की अवधि के लिए ए सी आर स ध्यान में रखा जाना आवश्यक था और वास्तव में ध्यान में रखा गया। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है कि 100 अंकों में से एसीआर का भारांक 80 अंकों का था। [कंडिका 6 और 6.3] [103-ए-सी, एफ-जी]

1.2 वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को वर्ष 2016-17 के लिए "अच्छी" श्रेणी मिली और वर्षों 2017-18 और 2018-2019 के लिए अपने ए सी आर में "बहुत अच्छी" श्रेणी मिली। याचिकाकर्ता की ओर से यह विशिष्ट मामला था जिसमें इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि वर्ष 2016-17 ए सी आर "अच्छी" श्रेणी डी. पी. सी. की बैठक तक भी याचिकाकर्ता को कभी नहीं बताया गया था। इसलिए, पदोन्नति के लिए विचार के लिए वर्ष 2016-17 के लिए "अच्छा" श्रेणीकरण वाले असंचारित ए. सी. आर. पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसी तरह, जहां तक वर्ष 2019-2020 के लिए ए. सी. आर. श्रेणीकरण का संबंध है, निःसंदेह कि डी. पी. सी. की बैठक से ठीक एक दिन पहले 09.04.2021 की याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता के पास वर्ष 2019-2020 के लिए एसीआर ग्रेडिंग के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए 15 दिनों का समय था। 15 दिन समाप्त होने से पहले, डी. पी. सी. ने 09.04.2021 को बैठक की और पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया। याचिकाकर्ता के पास प्रतिनिधित्व करने के लिए 08.04.2021 से 15 दिनों का समय था। इसलिए या तो डी. पी. सी. को स्थगित किया जा सकता था या वर्ष 2019-2020 के लिए ए. सी. आर. पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था और इसे असंचारित ए. सी. आर. के रूप में माना जाना चाहिए था। चूंकि डी. पी. सी. की बैठक होने तक वर्ष 2016-17 के लिए ए. सी. आर. श्रेणीकरण के बारे में सूचित नहीं किया गया था, इसलिए इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए और/या पदोन्नति पर विचार करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह, वर्ष 2019-2020 के लिए श्रेणीकरण को भी बाहर रखा जाना चाहिए और/या पदोन्नति के लिए विचार के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसे

08.04.2021 को सूचित किया गया था और याचिकाकर्ता को प्रतिनिधित्व करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था और प्रतिनिधित्व किए जाने से पहले डी. पी. सी. ने 09.04.2021 को बैठक की और पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया। [कंडिका 6.4, 6.5 और 6.7] [103-एच; 104-ए-जी]

1.3 सहायक निबंधक के पद के लिए याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार करने वाली डी. पी. सी. 09.04.2021 की कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। 09.04.2021 को सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता का मामला अभिलेख यानी, जिस तारीख को कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था, को नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें 2016-17 और 2019-20 वर्षों के लिए असंचारित ए. सी. आर. की अनदेखी की जाती है और उसके बाद डी. पी. सी./सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार नया निर्णय लेने और शेष वर्षों के ए. सी. आर., यानी, 2017-18 और 2018-19 को ध्यान में लिया गया। यदि नई प्रक्रिया के बाद याचिकाकर्ता को सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो वह बकाया, वरिष्ठता आदि सहित सभी परिणामी लाभों की 09.04.2021 के प्रभाव से हकदार होगी। वह दिन जिस दिन कनिष्ठों को पदोन्नत किया जाना था। [कंडिका 8,8.1] [105-ई-एच]

सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2013) 9 एससीसी 566:
[2013] 5 एससीआर 1004; रुखसाना शाहीन खान बनाम भारत संघ और अन्य, (2018) 18 एससीसी 640; देव दत्त बनाम भारत संघ और अन्य, (2008) 8 एससीसी 725:[2008] 8 एससीआर 174-पर निर्भर था।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राज कुमार, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 680; प्रभु दयाल खंडेलवाल बनाम अध्यक्ष, यूपीएससी (2015) 14 एससीसी 427-का उल्लेख किया गया है।

वाद विधि संदर्भ

[2013] 5 एससीआर 1004 पर

निर्भर था

कंडिका 3.1

(2015) 14 एस. सी. सी. 427 का उल्लेख किया गया है कंडिका 3.1

[2008] 8 एस. सी. आर. 174 पर निर्भर था कंडिका 6.4

दिवानी मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (दिवानी) संख्या 1209/2021

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

आर. बाला सुब्रमण्यन, वरिष्ठ अधिवक्ता, डेविड अहोंगसंगबाम, राज सिंह, सुश्री राजकुमारी बंजू, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, मैबम नबघनश्याम सिंह, अहंथम हेनरी, अहंथम रोहेन सिंह, विवेक कुमार, मोहन सिंह, विवेक कुमार सिंह, कुमार मिहिर, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने विभागीय पदोन्नति समिति, (संक्षेप में, 'डी. पी. सी.')

द्वारा दिनांक 9.4.2021 को सहायक पंजीयक के पद पर उनकी पदोन्नति से इनकार करने को दरकिनार करने के लिए और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को एक नया डी. पी. सी. आयोजित करने का निर्देश देने के लिए उचित राहत, दिशा निर्देश या आदेश के लिए अनुरोध किया है।

2. संक्षेप में वर्तमान रिट याचिका की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं :-

याचिकाकर्ता शुरू में वर्ष 1991 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना में अवर श्रेणी सहायक के रूप में अपनी सेवाओं में शामिल हुई थी। इसके बाद, उन्हें वर्ष 1993 में उच्च श्रेणी सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद उन्हें 5.1.2012 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 2013 में, मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई क्योंकि इसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय से अलग कर दिया गया था। मणिपुर उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (वर्गीकरण,

नियंत्रण, अपील और आचरण) नियम, 2020 (इसके बाद 'नियम 2020' के रूप में संदर्भित) बनाए जाने तक मणिपुर उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय सेवा नियम, 1967 (इसके बाद 'नियम 1967' के रूप में संदर्भित) को लागू कर रहा था।

2.1 अधीक्षक के पद से अगली पदोन्नति सहायक निबंधक के पद पर था। सहायक निबंधक का एक पद 1.2.2019 पर खाली हो गया। अगस्त, 2020 तक सहायक निबंधक के चार पद उपलब्ध थे। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 2013 में मणिपुर के अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद, कर्मचारियों की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों के लिए नियम, 1967 द्वारा शासित थे और सहायक निबंधक का पद वरिष्ठता-सह-योग्यता के रूप में भरा जाना था और याचिकाकर्ता अधीक्षकों में सबसे वरिष्ठ होने के कारण, वह सहायक निबंधक के उक्त पद पर पदोन्नति की हकदार थी। इसके बाद, मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के नियम, 2020 बनाए। हालाँकि, डी. पी. सी. को सहायक निबंधक (छह पदों) के पद पर पदोन्नति के लिए 9.4.2021 को आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ष 2019 का एक खाली पद और शेष पद जो 2020 के अगस्त महीने में हुए थे। नियम, 2020 के अनुसार, पिछले चार वर्षों के ए. सी. आर. पर विचार करने की आवश्यकता थी और तदनुसार डी. पी. सी. ने 2016 से डी. पी. सी. की तारीख जो 09.04.2021 तक ए. सी. आर. पर विचार किया।

2.2 डी. पी. सी. ने याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश नहीं की और अन्य व्यक्तियों को निजी प्रतिवादियों को पदोन्नत किया- यहाँ है और इसलिए सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नति से इनकार से व्यथित है, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी है।

इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता ने मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में और आवश्यकता के नियम पर इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश सहित मणिपुर उच्च न्यायालय में तीन माननीय न्यायाधीश थे, जिनमें से दो डी. पी. सी. के सदस्य थे और ए. सी. आर. पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था और इसलिए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बाला सुब्रमण्यन ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:

(i) चूंकि सहायक निबंधक का पद 01.02.2019 को खाली हो गया था और अगस्त, 2020 के महीने में (4 पदों) और नियम 2020, दिसंबर, 2020 के महीने में लागू हुए और इससे पहले नियम, 1967 लागू थे, इसलिए संबंधित समय पर प्रचलित नियम 1967 जब पद खाली रहे थे, उन्हें लागू करने की आवश्यकता थी।;

(ii) कि संबंधित समय में प्रचलित नियमों, 1967 के तहत, सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर थी और याचिकाकर्ता अधीक्षक के संवर्ग में सबसे वरिष्ठ होने के कारण उसे सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए था।;

(iii) कि नियम, 1967 के अनुसार, सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए पिछले पांच वर्षों के ए. सी. आर. पर विचार करना आवश्यक था, जिसके खिलाफ नियम 2020 को लागू करते समय पिछले चार वर्षों के ए. सी. आर. पर विचार किया गया है।;

(iv) डी. पी. सी. दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष-प्रतिवर्ष रिक्ति पर विचार किया जाना आवश्यक था और इसलिए सहायक निबंधक का पद जो 01.02.2019 को रिक्त हुआ, उस वर्ष की रिक्ति को देखते हुए 2019 में ही सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए डी. पी. सी. आयोजित किया जाना चाहिए था और किसी भी मामले में जब डी. पी. सी. की बैठक होती है, तो नियम, 1967 को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए था कि सहायक निबंधक का एक 1 पद 01.02.2019 को खाली हो गया था।;

(v) कि नियम, 2020 के तहत, अधिक उम्मीदवार योग्य हो जाते हैं, जिससे याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि नियम, 2020 को लागू करने पर उसे अधिक व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता थी।;

(vi) कि "अच्छी" श्रेणीकरण वाले वर्ष 2016-17 के लिए ए. सी. आर. याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया था और इसलिए डी. पी. सी. द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।;

(vii) "अच्छी" श्रेणीकरण वाले वर्ष 2019-2020 के लिए ए सी आर को याचिकाकर्ता को 8.4.2021 को सूचित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को उक्त ए सी आर के खिलाफ अभ्यावेदन करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था और 15 दिनों का समय पूरा होने से पहले, डी. पी. सी. ने 9.4.2021 को ही बैठक की और वर्ष 2019-2020 के लिए ए.सी.आर. को "अच्छी" श्रेणीकरण वाला माना और तदनुसार पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया।;

3.1 सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, (2013) 9 एस. सी. सी. 566 में प्रतिवेदित प्रभु दयाल खंडेलवाल बनाम अध्यक्ष, यू. पी. एस. सी. (2015) 14 एस. सी. सी. 427 (कंडिका 7 से 9) में प्रतिवेदित और रुखसाना शाहीन खान बनाम भारत संघ और अन्य, (2018) 18 एस. सी. सी. 640 में प्रतिवेदित के मामले इस न्यायालय के निर्णयों को आधारित करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि डी. पी. सी. ने वर्ष 2016-17 (असंचारित ए. सी. आर.) के लिए ए. सी. आर. और वर्ष 2019-2020 के लिए ए. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए भौतिक रूप से गलती की थी, जिसे केवल 8.4.2021 को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि "अच्छी" श्रेणी वाले दोनों वर्षों 2016-17 और 2019-20 के लिए एसीआर को बाहर रखा जाता है, तो उस मामले में शेष वर्षों के लिए, याचिकाकर्ता के पास "बहुत अच्छी" श्रेणी थी और इसलिए याचिकाकर्ता को तदनुसार पदोन्नति मिल जाती।

3.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों को आधारित करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि डी. पी. सी./उच्च न्यायालय को वर्ष 2016-17 के लिए असंचारित ए. सी. आर. और वर्ष 2019-20 के लिए ए. सी. आर. को भी नजरअंदाज करने का निर्देश दिया जाए, दोनों के "अच्छी" श्रेणीकरण हैं और याचिकाकर्ता के पदोन्नती के मामले पर विचार करने के लिए शेष ए. सी. आर., अर्थात् वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए ए. सी. आर., जिसमें याचिकाकर्ता की "बहुत अच्छी" श्रेणीकरण थी, को ध्यान में रखा जाए।

4. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, उच्च न्यायालय की ओर से पेश विद्वान वकील, श्री मैबम नबघनश्यम सिंह ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2017 से 2019 के लिए केवल अपने एसीआर में "बहुत अच्छी" श्रेणी प्राप्त हुई और वर्ष 2015 और 2016 के लिए उनकी एसीआर श्रेणीकरण "अच्छी" थी।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2017,2018,2019 और 2020 के लिए ए. सी. आर. में श्रेणीकरण याचिकाकर्ता और अन्य लोगों को 08.04.2021 को आक्षेपादित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही से एक दिन पहले सूचित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह याचिकाकर्ता और/या किसी अन्य उम्मीदवार को इस तरह के संचार की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर उक्त श्रेणीकरण के संबंध में अपने अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने से वंचित नहीं करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में अन्य उम्मीदवारों ने ठीक अगली तारीख यानी 09.04.2021 को अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए और याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जो वह अन्य कर्मचारियों/उम्मीदवारों की तरह प्रस्तुत कर सकती थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में मेधावी उम्मीदवारों के पक्ष में पदोन्नति आदेश केवल 28.04.2021 को जारी किए गए थे, जो उस समय अवधि के लिए जिम्मेदार था जिसके दौरान श्रेणीकरण के संबंध में शिकायत रखने वाले अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते थे।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सहायक निबंधक के पद के लिए साक्षात्कार उच्च न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों द्वारा 09.04.2021 को आयोजित किए गए थे। ए. सी. आर. में श्रेणीकरण और ऐसी श्रेणीकरण के संबंध में जानकारी साक्षात्कार आयोजित करने वाले माननीय न्यायाधीशों को प्रदान या उपलब्ध नहीं कराई गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता और अन्य सभी योग्य उम्मीदवारों की मौखिक जाँच प्रभावित नहीं थी और पात्र उम्मीदवारों के ए.सी.आर. ग्रेडिंग से स्वतंत्र थी।

4.3 अब जहाँ तक याचिकाकर्ता की ओर से यह निवेदन किया गया है कि चूंकि रिक्ति 29.01.2019 को उत्पन्न हुई थी, इसलिए उक्त पद को रिक्त होते ही तुरंत पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए था, और चूंकि 2020 के अगस्त महीने में खाली हो जाती है और इसलिए संबंधित नियम-उच्च न्यायालय के नियम लागू किए जाने चाहिए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पदोन्नति द्वारा पद को भरना अंततः नियोक्ता/उच्च न्यायालय का काम है।

4.4 उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के साथ-साथ श्री जयदीप गुप्ता, पदोन्नत उम्मीदवारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, इस न्यायालय के हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राज कुमार का मामला, 2022 एससीसी ऑनलाइन एस. सी. 680 के मामले पारित निर्णय को आधारित करते हुए जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि सार्वभौमिक आवेदन का कोई नियम नहीं है। यह कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से उन नियमों के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उस तारीख को मौजूद थे जब वे उत्पन्न हुए थे।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों को आधारित करते हुए, वर्तमान याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

6. वर्तमान मामले में विवाद मणिपुर उच्च न्यायालय में सहायक निबंधक के पद के संबंध में है। नियम 2020 से पहले, सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नति गुवाहाटी उच्च न्यायालय सेवा नियम, 1967 द्वारा शासित थी। हालाँकि, मणिपुर उच्च न्यायालय ने नियम, 2020 नामक अपने स्वयं के नियम बनाए थे। डी. पी. सी. ने 09.04.2021 को सहायक निबंधक के पद को भरने के लिए बैठक की। इसलिए, डी. पी. सी. की बैठक के समय प्रचलित नियम, 2020 पर उचित रूप से विचार किया गया।

6.1 क्रम संख्या 12 के तहत नियम, 2020 की अनुसूची III के तहत सहायक निबंधक के पदों पर पदोन्नति/नियुक्ति के लिए 'परीक्षा योजना' के अनुसार, जो 'अधीक्षक/समकक्ष और उससे ऊपर पदोन्नति के लिए मूल्यांकन' को शासित करता है, विभागीय पदोन्नति कार्यवाही आयोजित करने की आवश्यकता थी। नियम, 2020 की अनुसूची III में निहित क्रम संख्या 12 में उक्त नियम के अनुसार, अधीक्षक/समकक्ष और उससे ऊपर के पद पर पदोन्नति के लिए मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाना था:

"12. अधीक्षक/समकक्ष और इसके ऊपर पदोन्नति के लिए मूल्यांकन:

(i) एसीआर भारांक: 80 अंक

(ii) मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार: 20 अंक (उक्त पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता और अनुकूलता का आकलन करने के लिए) "

6.2 क्र. सं. 13 के अनुसूची III के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति केवल तभी दी जाएगी जब उम्मीदवारों की योग्यता समान होगी।

6.3 यह विवाद में नहीं है और इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए डी. पी. सी. की तारीख से पिछले चार वर्षों के ए. सी. आर. को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। इसलिए, वर्तमान मामले में 2016-2017 से 2019-2020 के बीच की अवधि के लिए ए.सी.आर. को ध्यान में रखा जाना चाहिए और वास्तव में ध्यान में रखा गया। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है कि 100 अंकों में से एसीआर का भारांक 80 अंकों का था।

6.4 वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को वर्ष 2016-17 के लिए "अच्छी" श्रेणी मिली और वर्षों 2017-18 और 2018-2019 के लिए अपने ए.सी.आर. में "बहुत अच्छी" श्रेणी मिली। यह याचिकाकर्ता की ओर से विशिष्ट मामला था जिसमें इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि एसीआर में "अच्छा" श्रेणीकरण 2016-17 के लिए डी.पी.सी. की बैठक तक भी याचिकाकर्ता को कभी सूचित नहीं किया गया था। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा अधिक विशेष रूप से निर्णयों के संबंध में निर्धारित कानून के अनुसार, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा रुखसाना शाहिन खान (उपरोक्त); सुखदेव सिंह (उपरोक्त) और देव दत्त बनाम भारत संघ और अन्य, में (2008) 8 एस. सी. सी. 725 मामलों में देखा और अभिनिर्धारित किया गया। असंचारित प्रतिकूल एसीआर "अच्छी" प्रविष्टि के साथ भी हो सकते हैं, जिसे पदोन्नति के लिए पात्रता के संदर्भ में प्रतिकूल कहा जा सकता है, पदोन्नति पर विचार करने के लिए उस आधारित नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, पदोन्नति के लिए विचार के लिए वर्ष 2016-17 के लिए "अच्छा" श्रेणीकरण वाले असंचारित ए. सी. आर. को आधारित नहीं किया जा सकता था।

6.5 इसी तरह जहां तक वर्ष 2019-20 के लिए ए. सी. आर. श्रेणीकरण का संबंध है, निःसंदेह डी. पी. सी. की बैठक 09.04.2021 से ठीक एक दिन पहले 08.04.2021 को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता के पास वर्ष

2019-2020 के लिए एसीआर श्रेणीकरण के खिलाफ अभ्यावेदन करने के लिए 15 दिनों का समय था। 15 दिन समाप्त होने से पहले, डी. पी. सी. ने 09.04.2021 को बैठक की और पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया। उच्च न्यायालय की ओर से यह निवेदन कि अन्य उम्मीदवार जिन्हें वर्ष 2019-2020 के लिए ए. सी. आर. 08.04.2021 पर सूचित किया गया था, उन्होंने भी 09.04.2021 को अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए और इसलिए याचिकाकर्ता भी अन्य उम्मीदवारों की तरह 09.04.2021 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता था, यह न तो यहाँ है और न ही वहाँ है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के पास अभ्यावेदन देने के लिए 08.04.2021 से 15 दिनों का समय था। इसलिए या तो डी. पी. सी. को स्थगित किया जा सकता था या वर्ष 2019-2020 के लिए ए. सी. आर. पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था और इसे असंचारित ए. सी. आर. के रूप में माना जाना चाहिए था।

6.7 उपरोक्त चर्चा का सार और अर्थ यह होगा कि डी. पी. सी. की बैठक होने तक वर्ष 2016-17 के लिए "अच्छे" की ए. सी. आर. श्रेणीकरण के बारे में सूचित नहीं किया गया था, इसलिए इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए और/या पदोन्नति पर विचार करने के लिए उस आधारित नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह, वर्ष 2019-2020 के लिए श्रेणीकरण को भी बाहर रखा जाना चाहिए और/या पदोन्नति के लिए विचार के लिए उसे आधारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसे 08.04.2021 को सूचित किया गया था और याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था और अभ्यावेदन देने से पहले डी. पी. सी. ने 09.04.2021 को बैठक की और पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया।

6.8 इस स्तर पर उच्च न्यायालय की ओर से प्रत्युत्तर के कंडिका 23 में किए गए कथन ध्यान देने योग्य हैं। कंडिका 23 में कहा गया है:

"23. वास्तव में, सहायक निबंधक के पद के लिए साक्षात्कार मणिपुर उच्च न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों द्वारा 09.04.2021 को आयोजित किए गए थे। ए. सी. आर. में श्रेणीकरण और ऐसी श्रेणीकरण के संबंध में जानकारी साक्षात्कार आयोजित करने वाले माननीय न्यायाधीशों को प्रदान या उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

इस प्रकार, मौखिक परीक्षा या याचिकाकर्ता और अन्य सभी योग्य उम्मीदवार प्रभावित नहीं थे और योग्य उम्मीदवारों के एसीआर श्रेणीकरण से स्वतंत्र थे।”

इस प्रकार, उच्च न्यायालय के अनुसार, एसीआर में श्रेणीकरण और इस तरह की श्रेणीकरण के संबंध में जानकारी साक्षात्कार आयोजित करने वाले माननीय न्यायाधीशों को प्रदान/उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उपरोक्त बात पूरी तरह से गलत है। जैसा कि ऊपर देखा गया है और माना गया है कि ए. सी. आर. को 80 अंकों का महत्व दिया जाना था और इसलिए ए. सी. आर. श्रेणीकरण जो अंकों का एक बड़ा हिस्सा है, यानी 100 अंकों में से 80 अंकों को उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, 09.04.2021 को सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर वर्ष 2016-17 और 2019-20 के लिए असंचारित एसीआर की अनदेखी करते हुए नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है और उसके मामले पर उन वर्षों 2017-18 और 2018-19 के लिए एसीआर को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है जिनके लिए याचिकाकर्ता की "बहुत अच्छी" श्रेणीकरण थी।

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है। सहायक निबंधक के पद के लिए याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार करने वाली डी. पी. सी. की दिनांक 09.04.2021 की कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द की जाती है और अलग रखी जाती है। सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले में, 09.04.2021 अर्थात् जिस तारीख को कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था, उन वर्षों के लिए असंचारित एसीआर वर्ष 2016-17 और 2019-20 के लिए, की अनदेखी करते हुए नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जाता है और उसके बाद शेष वर्षों के ए.सी.आर. यानी 2017-18 और 2018-19 को ध्यान में रखते हुए, डी.पी.सी. /सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार नया निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह के अभ्यास आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

8.1 यदि नये कवायद के बाद, उपरोक्त याचिकाकर्ता को सहायक निबंधक के पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह बकाया, वरिष्ठता

आदि सहित सभी परिणामी लाभों का 09.04.2021 के प्रभाव से हकदार होगी। वह दिन जिस दिन कनष्ठों को पदोन्नत किये गये थे ।

वर्तमान रिट याचिका को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अर्थदण्ड के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे

रिट याचिका की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और रूपांशी विरंग, एलसीआरए)